ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 110-113
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

भारतीय खेतिहर मजदूरों की समस्याएं एवं समाधान के उपाय

डॉ0 धन्नजय कुमार

एम०ए०, पी–एच०डी० (समाजशास्त्र), पता – ग्राम–दमुहा, पो०–सैदाबाद, जहानाबाद (बिहार) भारत

Received-03.02.2024, Revised-10.02.2024, Accepted-16.02.2024 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांश: *हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ हैं। खेतिहर मजदूरों को बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। अतएव बड़ी दयनीय स्थिति में ये अपना जीवन गुजारते हैं। कृषि – श्रम जाँच समिति के द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार 1950 ई में बिहार के मर्द खेतिहर मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी एक रुपया 19 पैसे से लेकर एक रुपया 31 पैसे तक तथा औरतों की दैनिक मजदूरी 60 पैसे से लेकर एक रु० तक थी। साथ ही, इन्हें मजदूरी चुकाने का कोई प्रामाणिक तरीका भी नहीं था। इन्हें मजदूरी या तो नकद रुपये या अन्न के रूप में या दोनों के रूप में दी जाती है। कम मजदूरी मिलने के फलस्वरूप इनकी औसत आय बहुत ही कम होती थी। कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार 1950–51 ई० में प्रति खेतिहर मजदूर परिवार की औसत वार्षिक आय 447 रुपये थी। 1956–57 ई० की जाँच के विवरण के अनुसार एक औसत कृषक मजदूर परिवार की वार्षिक आय 437 थी।*

कुंजीभूत शब्द– भारतीय खेतिहर मजदूरों, समस्याएं, समाधान, दयनीय स्थिति, संकलित आँकड़ों, दैनिक मजदूरी, प्रामाणिक तरीका।

आय का प्रायः 7 प्रतिशत भाग वे अपनी भूमि से, 66 प्रतिशत भाग कृषि श्रम से, 7 प्रतिशत भाग कृषि – श्रम से तथा 20 प्रतिशत अन्य तरीके से प्राप्त करते थे। कृषि – श्रम जाँच समिति के अनुसार, एक औसत खेतिहर मजदूर परिवार में 4.4 व्यक्ति रहते थे, अतएव प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 95.3 रुपये ही हुई। इससे स्पष्ट है कि इनकी आय बहुत ही कम थी। आय कम होने से इनका जीवन स्तर भी अत्यंत निम्न था। 1956–57 ई० की जाँच के अनुसार, एक औसत खेतिहर मजदूर परिवार अपनी आय का 77.3 प्रतिशत भाग भोजन, 6. 1 प्रतिशत भाग वस्त्र तथा जूता पर 7.9 प्रतिशत भाग ईंधन पर तथा 8.7 प्रतिशत अन्य आवश्यक मदों में व्यय करता था । निम्नांकित तालिका से खेतिहर तथा औद्योगिक मजदूरों की प्रति व्यक्ति औसत आय का तुलनात्मक विवरण स्पष्ट है :

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (रूपये में)

राज्य	खेतिहर मजदूरों की आय (1950-51)	औद्योगिक मजदूरों की आय (1950-51)	खेतिहर मजदूरों की आय औद्योगिक मजदूरों के प्रतिशत में
पश्चिमी बंगाल	160	268	59
बिहार	119	332	36
मध्य प्रदेश	87	262	33
उड़ीसा	79	145	54
पंजाब	121	216	56
बंबई	88	368	24

खेतिहर मजदूरों के कार्य करने का समय भी निश्चित नहीं रहता। उन्हें खेतों में बहुधा प्रातः काल से लेकर 8–9 बजे संध्या समय तक कार्य करना पड़ता है। खेती के विशेष अवसरों जैसे–कटनी, रोपनी आदि पर तो इन्हें और भी अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है। फिर भी इनकी मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती।

इतना ही नहीं, खेतिहर मजदूरों को लगातार काम भी नहीं मिलता। वर्ष के अधिकांश भाग में ये बेकार ही रहते हैं। द्वितीय कृषि–श्रम जाँच समिति के अनुसार 1956–57 में भारत के आकस्मिक व्यस्क मर्द खेतिहर मजदूरों को वर्ष में औसतान 197 दिन तक कार्य मिला था। समिति ने यह अनुमान लगाया था कि ये वर्ष में प्रायः 168 दिन तक पूर्णतः बेकार थे या अपना काम करते थे। समिति के अनुसार प्रायः 16 प्रतिशत व्यक्तियों को साल भर तक कोई कार्य नहीं मिलता था। इस प्रकार भारत में खेतिहर मजदूरों के समक्ष बेकारी तथा अर्द्ध–बेकारी की बड़ी ही भीषण समस्या है।

खेतिहर मजदूरों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ते जा रहा है। पर्याप्त मजदूरी के अभाव तथा लगातार कार्य न मिलने के कारण इन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ता है जिससे ये महाजनों के चंगुल में नाहक फँस जाते हैं और एक बार इनके चंगुल में फँस जाने पर पुनः निकलना इनके लिए कठिन हो जाता है। खेतिहर मजदूर अधिकांशतः अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गिरवी रखकर ही कर्ज लेते हैं। कृषि–श्रम जाँच समिति के अनुसार 1955–56 ई. में 64 प्रतिशत खेतिहर मजदूर ऋण के बोझ से ग्रसित थे तथा औसत कर्ज की मात्रा प्रति परिवार 138 रुपये थी। इस प्रकार जाँच समिति के अनुसार 1956–57 ई. खेतिहर मजदूरों पर कुछ 143 करोड़ रुपये के लगभग कर्ज था, जबकि 1950–51 ई. में कर्ज की अनुमानित रकम केवल 80 करोड़ रुपये ही थी, किन्तु उक्त समिति के इस अनुमान से खेतिहर मजदूरों की वास्तविक स्थिति का अन्दाजा नहीं लगता क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि शायद ही कोई ऐसा खेतिहर मजदूर परिवार होगा जो कर्ज के बोझ से मुक्त हो।

इस प्रकार भारत में खेतिहर मजदूरों के समक्ष आज अनेक समस्याएँ हैं। इन पर मूल्य वृद्धि का भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

है। मूल्य के अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ने के कारण इनकी आर्थिक कठिनाइयाँ और भी उग्र हो गयी हैं। इनके बीच संगठन का भी अभाव है। इनकी कोई संगठित संस्था नहीं है, जो इनके लिए सुविधाएँ दिलाने का प्रयत्न कर सके। इन्हें आवास की उचित सुविधा भी नहीं प्राप्त है। रहने के लिए उचित स्थान के अभाव में इन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इनकी झोपड़ी के नीचे की भूमि पर भी इनका अपना अधिकार नहीं है। बीमारी, बुढ़ापा तथा अन्य परिस्थतियों से इन्हें बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। बहुत से राज्यों में तो इनकी स्थिति दासों के समान हैं। इस प्रकार अर्द्ध–बेकारी तथा सामाजिक कठिनाइयों से ग्रस्त खेतिहर मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या निस्संदेह हमरी कृषि व्यवस्था के स्थायित्व तथा गंभीर शक्तिहीनता का सूचक है । इस वर्ग की कठिनाइयों को दूर किये वगैर भारत की ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था की नींव सुदृढ़ नहीं हो सकती।

खेतिहर मजदूरों की हीनावस्था के कारण– भारत में वर्षों से खेतिहर मजदूरों की स्थिति दयनीय रही है। ब्रिटिश शासनकाल में इनकी स्थिति को सुधारने का प्रायः कोई प्रयत्न नहीं किया गया। फलतः इनकी कठिनाइयाँ और भी उग्र होती गयीं। भारतीय खेतिहर मजदूरों की हीनावस्था के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं :

1. जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि– भूमि का निरंतर उपविभाजन भारत की जनसंख्या में निरन्तर तेजी से वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप किसानों की भू–संपत्ति का उपविभाजन बढ़ते हो जा रहा है तथा जोतें छोटी होती जा रही हैं। जोतों का आकार छोटा होने के कारण कृषि कार्य अलाभकर हो जाता है। फलस्वरूप किसानों का निर्वाह केवल अपनी भूमि से नहीं हो पाता और वे कम ही मजदूरी पर कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार देश की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसके फलस्वरूप भू–संपत्ति के निरंतर उपविभाजन के कारण खेतिहर मजदूरों की निर्धनता तथा विवशता बढ़ती ही जा रही है।

2. कुटीर उद्योग–धन्धों का ह्रास– भारत में ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ से ही अनेक कारणों से कुटीर उद्योगों का विनाश होने लगा जिससे देश में सहायक उद्योग–धन्धों का सर्वथा अभाव हो गया। कुटीर उद्योगों के विनाश से बहुत से कारीगर बेकार हो गये तथा उन्हें बाध्य होकर कृषि पर कार्य करना पड़ा। इससे खेतिहर मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि हो गयी और इन्हें कम मजदूरी पर ही कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा।

3. कर्ज का अतिशय बोझ– हमारे देश के खेतिहर मजदूरों की आय इतनी कम है कि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विवाह एवं श्राद्ध आदि विशेष अवसरों पर भी कर्ज लेते हैं। मजदूरी कम होने के कारण ये कर्ज चुकाने में बहुधा असमर्थ हो जाते हैं तथा लाचार होकर इन्हें अपनी सम्पत्ति बेचनी पड़ती है। कभी–कभी तो कर्ज लेने के लिए इन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक को भी गिरवी रखनी पड़ती है, जिससे ये महाजनों के दास की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार कर्ज के बोझ से खेतिहर मजदूरों की आर्थिक विवेशता बढ़ती जा रही है।

4. निरन्तर कार्य का नहीं मिलना या कार्य की मौसमी प्रकृति– भारत में खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर भी निरंतर कार्य नहीं मिलता। ये बहुधा वर्ष के अधिकतर भाग में बेकार ही रहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये वर्ष मे 4–5 महीने तक बेकार ही रह जाते हैं। किसी–किसी भाग में तो ये 6 महीनों तक भी बेकार रह जाते हैं। द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार, 1956–57 में खेतिहर मजदूरों को वर्ष में औसतन 197 दिनों तक कार्य मिलता था तथा 40 दिनों तक ये अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समिति के अनुसार 1956–57 में ये 168 दिन तक ये बेकार रहते थे। आंसजित मजदूरों को भी वर्ष में औसतन 326 दिन ही काम मिलता था। इनके लिए बेकारी का समय बड़ा ही दुःखद हो जाता है और फलस्वरूप भोजन–वस्त्र आदि के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। अतः निरंतर काम न मिलने के कारण भी इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है।

5. मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण पद्धति– हमारे देश में खेतिहर मजदूरों को मजदूरी चुकाने की पद्धति भी दोषपूर्ण हैं। कहीं तो मजदूरी नकद रुपये में चुकायी जाती हैं, कहीं अन्न रूप में और कहीं दोनों के रूप में परन्तु आजकल मजदूरी प्रायः द्रव्य के रूप में ही दी जाती है। इससे मजदूरों को वास्तव में क्षति होती है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। अतः इन्हें कम ही वास्तविक मजदूरी मिलती है। इस प्रकार मजदूरी चुकाने की विभिन्नतापूर्ण एवं दोषपूर्ण पद्धति के कारण भी मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

6. दोषपूर्ण रैयती कानून तथा अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था– हमारे देश में वर्त्तमान रैयती कानून भी खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं ये मजदूर दूसरों की भूमि पर कार्य करते और केवल अपनी मजदूरी के ही भागी होते हैं। जमीन का मालिक बहुधा खेती से बहुत दूर रहता है। फिर भी वह सम्पूर्ण उपज का हकदार होता है। अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था के कारण भी इनकी आर्थिक विवशता में वृद्धि हुई हैं। बड़े–बड़े जमींदार अधिकतर, नगरों में रहना ही पसन्द करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जमींदारी की व्यवस्था इनके कर्मचारियों द्वारा की जाती है जो किसानों तथा मजदूरों पर तरह–तरह के अत्याचार करते हैं। बहुत–से किसान अज्ञानतावश भी भूमि से बेदखल कर दिये जाते हैं और उन्हें बाध्य होकर खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आना पड़ता है।

7. खेतिहर मजदूरों में संगठन का अभाव– हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के बीच अभी संगठन का पूर्णतया अभाव है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रयास के फलस्वरूप देश में औद्योगिक मजदूर दिन–प्रतिदिन संगठित होते जा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति निरंतर सुधार होते जा रहा है, किन्तु खेतिहर मजदूरों में अभी भी संगठन का अभाव है जिससे इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इनके द्वारा संगठित प्रयत्न नहीं किया जाता। वास्तव में, दूर–दूर तक बिखरे गाँवों की बिखरी बस्तियों में निर्धन जीवन व्यतीत करने वाले खेतिहर मजदूरों के बीच संगठन की प्रवृत्ति का अभाव अति स्वभाविक है। इस प्रकार संगठन के अभाव के कारण भी इनकी आर्थिक विवशता अधिक हो गयी है।

8. खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार और समाज की उदासीनता– हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार तथा समाज

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

प्रारंभ से ही अति उदासीन रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में तो इनको स्थिति में सुधार के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया था जिससे इनकी आर्थिक विवशता बहुत बढ़ गयी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस और सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है, फिर भी इस दिश में अभी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो पाया है।

इस प्रकार जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि तथा जोतों के उप–विभाजन, कुटीर उद्योग–धंधों के ह्रास, अत्यधिक कर्ज का बोझ, निरंतर कार्य का नहीं मिलना, मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण पद्धति, अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था, संगठन का अभाव तथा समाज एवं सरकार की उदासीनता आदि कारणों से खेतिहर मजदूरों की आर्थिक विवशता बढ़ती ही जा रही है। इनका जीवन घोर निराशा में व्यतीत होता है। भूखे नंगे पैदा होकर तथा आश्रयहीन मर जाने तक ही इनके जीवन का सारा इतिहास सीमित है। अतः इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत अधिक तथा गंभीर प्रयत्नों की आवश्यकता है।

खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के प्रयत्न– आज से कुछ वर्ष पूर्व मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर सरकार एवं समाज द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों द्वारा इनके संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त कर इनकी समस्यओं के समाधान का प्रयत्न किया जा रहा है। वास्तव में, इनकी स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयत्न आवश्यक हैं :

1. न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित– हमारे देश में खेतिहर मजदूरों की मजदूरी सबसे कम है। अतएव सर्वप्रथम तो इन्हें उचित मजदूरी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विधान द्वारा इनकी न्यूनतम मजदूरी की दर को निश्चित करने का प्रयास किया गया है। न्यनूतम मजदूरी वह मजदूरी है, जिससे कम किसी को भी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। 1948 में भारत सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी विधान पारित किया था, जिसके आधार पर राज्य सरकारों को तीन वर्षों की अवधि में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करनी थी किन्तु, इस अवधि के अंतर्गत अधिकांश राज्यों में यह कार्य संपन्न नहीं किया जा सका। अतः 1951 में इस अवधि को बढ़ाकर 1955 ई० तक कर दिया गया। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में सर्वत्र तथा असम, गुजरात एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में न्यूनतम मजदूरी की दर तय कर दी गयी है तथा कुछ राज्यों में ऐसा किया जा रहा है, किन्तु खेतिहर मजदूरों में संगठन के अभाव के कारण इसका प्रभाव प्रायः नगण्य ही रहा। बहुत से मजदूर तथा किसान तो इस संबंध में अभी तक कुछ जान भी नहीं पाये हैं। अतः न्यूनतम मजदूरी को मान्य बनाने के लिए इस क्षेत्र में सरकार को अधिक तत्पर होना चाहिए, अन्यथा इससे कोई लाभ की आशा नहीं की जा सकती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस बात की सिफारिश की गयी थी कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी न्यूनतम मजदूरी शीर्ष ही निश्चित कर दी जाय।

2. कार्य के घण्टे को निश्चित करना– अन्य सभी उद्योगों के मजदूरों की तरह खेतिहर मजदूरों के कार्य करने का समय भी निश्चित होना चाहिए। हमारे देश में खेतिहर मजदूरों से बहुत अधिक समय तक कार्य लिया जाता है और उन्हें उचित अवकाश भी नहीं मिलता। अतः इसे विधान के द्वारा निश्चित करना चाहिए। इस संबंध में कृषि सुधार समिति का प्रस्ताव था कि एक दिन मनुष्य के लिए 12 घण्टे तथा औरतों के लिए 10 घण्टे का होना चाहिए एवं 8 घण्टे से अधिक काम के लिए अतिरिक्त मजदूरी दी जानी चाहिए। कार्य के समय–संबंधी विधान को कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ अवश्य होंगी, किन्तु यह असंभव जानकर छोड़ देना भी उचित नही होगा।

3. खेतिहर मजदूरों के दासत्व को दूर करना– यद्यपि भारतीय संविधान के अनुसार दास रखना एक दण्डनीय अपराध है, फिर भी देश में ऐसे भी खेतिहर मजदूर पाये जाते हैं जिनकी स्थिति दासों से अच्छी नहीं है। इनके मालिक इन्हें व्यावहारिक रूप से मोल ले लेते हैं। बम्बई के कोली, मद्रास में पुलेपान, उड़ीसा मे चाकर तथा बिहार में कामों इसी प्रकार के होते हैं। बहुत राज्यों में तो आज भी बेगार की प्रथा प्रचलित है। इन सबको समाप्त कर खेतिहर मजदूरों को जमींदारों के शोषण से मुक्त करना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने से हमारा ग्रामीण समाज कभी सुखमय नहीं हो सकता। गाँवों में बेगार की प्रथा को भी समाप्त कर देना चाहिए। इन सभी कार्यों के लिए खेतिहर मजदूरों के बीच संगठन कायम करना अनिवार्य है जिससे देश की विशाल जनराशि को अर्द्ध–मानव के स्तर से ऊपर उठाया जा सके। इस संबंध में 1976–77 में कुछ ठोस कार्य किये गये थे। अब तो सरकार ने दासत्व प्रथा को समाप्त कर दिया है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी यह प्रथा कई अन्य रूप में विद्यमान है।

4. कुटीर अथवा पूरक उद्योग– धंधों का विकास हमारे देश में खेतिहर मजदूरों को वर्ष में प्रायः 4–5 महीने तक बेकार ही रहना पड़ता है इस बेकारी के समय में अगर इनके लिए पूरक धन्थों की व्यवस्था होती तो बेकारी का समय अच्छे ढंग से व्यतीत हो सकता था तथा इनकी आय में भी कुछ वृद्धि होती। इस प्रकार कुटीर उद्योग की व्यवस्था से खेतिहर मजदूरों की आर्थिक विवशता को बहुत अंश तक कम किया जा सकता है।

5. शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुधार– हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। शिक्षा के अभाव में ये तथा इनके लड़के अपने अधिकारों से पूर्णतया अनभिज्ञ रह जाते हैं। इनके लिए साधारण शिक्षा से अधिक महत्व विशेष शिक्षा का है जिससे वे सुगमतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य में सुधार की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

6. आवास की समुचित व्यवस्था– खेतिहर मजदूरों को रहने के लिए उचित वासस्थान भी उपलब्ध नहीं है। ये प्रायः गंदी झोपड़ियों के गंदे वातावरण में रहते हैं। झोपड़ी के नीचे की भूमि भी बहुधा इनकी अपनी नहीं होती। अतः इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए उचित वास स्थान की सुविधा प्रदान की जाय। वास स्थान की भूमि पर इनका अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में बिहार सुविधा प्राप्त व्यक्ति वास स्थान की काश्तकारी विधान 1958 ई० विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस विधान द्वारा ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को उनके वास स्थान सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के विधान अन्य राज्यों में

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

भी होने चाहिए ।

7. ऋण के बोझ को कम करना– हमारे देश में खेतिहर मजदूर कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। अतः इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि इनके कर्ज के बोझ को समाप्त किया जाय । 1990 में जनता दल सरकार ने भूमिहीन मजदूरों के 10 हजार रुपये तक के सांस्थानिक ऋण को माफ करने करने की घोषणा की थी। इसके लिए विधान द्वारा पुराने ऋणों को समाप्त कर देना चाहिए तथा भविष्य में उचित दर पर कर्ज प्रदान करने के लिए इनके बीच सहाकरी साख समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस प्रकार के सुझाव दिये गए हैं।

8. इनके बीच संगठन कायम करना– खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि इनका एक देश–व्यापी संगठन बनाया जाय। कृषि सुधार समिति ने इनके बीच एक देश व्यापी संगठन की स्थापना की सिफारिश की थी। गठन के द्वारा इनकी अधिकांश कठिनाइयों को दूर करने का सम्यक प्रयास सम्भव है। इसके द्वारा देश को इस बड़े जन समूह को अर्द्ध मानव के उस स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है, जिसमें वह कुछ स्थानों पर इतना नीचे गिर गया है कि गोबर से चुने हुए अन्न के दाने खाकर अपना जीवन बसर करता। अतः इनकी स्थिति में सुधार के उद्देश्य से औद्योगिक मजदूरों की तरह कृषि मजदूरों के बीच भी एक देश–व्यापी संगठन अनिवार्य है।

9. भूमिहीन मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था– भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या का उचित समाधान इन्हें भूमि देकर ही किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में कृषि योग्य भूमि का अभाव है। अतः प्रत्येक भूमिहीन परिवार के लिए भूमि की व्यवस्था कठिन होगी। फिर भी, सरकार द्वारा जिस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है या अधिकतम सीमा निर्धारण के पश्चात् जो भूमि सरकार के पास आती है उसकी व्यवस्था में भूमिहीन कृषक मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किन्तु इन्हें भूमि इसी शर्त पर दी जानी चाहिए कि ये उसमें सहकारिता के आधार पर खेती का कार्य करें। इससे इनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा हाल में ही परती भूमि के उद्धार के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति ने 12 राज्यों में 105 करोड़ रुपये व्यय से 10.8 लाख एकड़ ही भूमि के उद्धार की सिफारिश की थी।

उपरोक्त सभी उपायों द्वारा भारत के खेतिहर मजदूरों की आर्थिक विवशता को दूर कर इन्हें देश तथा समाज के जनजीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Dr. V.K. R.V. Rao : Agricultural labour in india.
2. Ministry of labour : Report of the national commission on rural labour (1991)
3. G.R. Madan : Bharat ka Grameen samaj, S. Chand and company Ramnagar, New Delhi.
4. M.L. Gupta & D.D. Sharma : Indian rural sociology. Sahitya Bhawan publications. Agra.
5. H.P. Singh & V.P. Mital : Economic problems of india, Sanjeeva Prakashan, Merut.
6. L.M. Roy : Agricultural Economics, Nav-vikas prakashan, Patn

*****